संख्या-93/2015/1941/30-3-15-07बी/2007

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ ख़ाँ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 01 जनवरी, 2016

विषय- पूर्व निर्मित सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के भवन की मरम्मत कार्य कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1526ए/2015-97ए/2014, दिनॉक 06-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-35/796/30-3-2015-11बी/2014, दिनॉक 07-04-2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण में प्रावधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखी गयी है। उक्त धनराशि में से निम्नांकित विवरण के अनुसार, 03 संभागीय परिवहन कार्यालयों मरम्मत कार्य तथा 01 सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कराये गये रंगाई-पुताई के कार्य की अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 49.64 लाख (रू0 उनचास लाख चौसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का नाम	कराये जाने वाले अनुरक्षण कार्य का विवरण	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	मेरठ	बाउंड्रीवाल की मरम्मत कराने हेतु	9.19
2.	इलाहाबाद	भवन की छत में सीपेज रोकने हेतु कोवा ट्रीटमेंट	20.26
3.	झांसी	बाउंड्रीवाल की मरम्मत कराने हेतु	18.69
4.	बलरामपुर	कार्यालय भवन की रंगाई-पुताई के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोषागार से धनराशि आहरित न हो पाने के कारण कार्यदायी संस्था को चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान हेतु	1.50

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपरोक्त कार्यालय भवनों में मरम्मत का कार्य समयबद्धता से पूर्ण कराया जायेगा साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

3- उपरोक्त कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिन मदों के लिये धनराशि स्वीकृति की जा रही है, वह उन्हीं मदों में व्यय की जाये तथा मदों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो रही हो। यदि मद व्यावर्तन और द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति होती है, तो उसके लिये सम्बन्धित संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉं)
विशेष सचिव।

संख्या-93/2015/1941(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉं)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।